ऑन लाईन नं. RCMS 2025/166

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार आर०ए०एस०
निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 50 / 2025

1. विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 9 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. रणवीर पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम बाबत गैरनिगरानीकर्ता के प्लाटों के अवैध व फर्जी पट्टे को निरस्त करवाने बाबत।

उपस्थित :

1. श्री लखविन्द्र संधु अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री विरेन्द्र कुमार सिहाग अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता

दिनांकः–15.04.2026

:: आदेश::

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि :–

1. यह कि गैरनिगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर से अपने नाम से प्लाट संख्या संख्या–7 का आधा 372 वर्गगज का फर्जी पट्टा बनवा रखा है जिसकी फोटो प्रति सलंग्न है।
2. यह गैरनिगरानीकर्ता ने अपने अतिक्रमण को स्थाई करने की नियत से एक झूठा मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 186/2023 थाना लालगढ जाटान में निगरानीकर्ता के विरूद्ध दर्ज करवाया लेकिन पुलिस ने गैरनिगरानीकर्ता का मुकदमा झूठा मानते हुए एफ.आर. न्यायालय में पेश कर दी जिसकी फोटो प्रति सलंग्न है।
3. यह कि निगरानी उक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है एवं उचित कोर्ट फीस पर पेश की जा रही है।

अतः निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम पेश कर निवेदन है कि गैरनिगरानीकर्ता के नाम ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान द्वारा जारी किये गये फर्जी पट्टे को खारिज करने की कृप्पा करें।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

गैरनिगरानीकर्ता की ओर से लिखित बहस निम्नप्रकार से है :–

1. यह कि निगरानीकर्ता विनोद के द्वारा श्रीमान न्यायालय में गैरनिगरानीकर्ता रणवीर के पट्टाशुदा भूखण्ड संख्या–7 का ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर , द्वारा जारीशुदा पट्टा संख्या 80 दिनांकित 06.01.2022 को निरस्त किये जाने के लिये धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।
2. यह है कि ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर के द्वारा ग्राम पंचायत में आवासीय भूखण्डों पर पुराने कब्जा के आधार पर नियमन के लिये आवेदन किये जाने पर बाद जॉच धारा 157 पंचायती राज नियम 1996 के तहत ग्राम के सदस्यों को उनके भूखण्डों के पट्टे जारी किये गये। गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा अपने कब्जाशुदा भूखण्ड संख्या 7 का पट्टा जारी किये जाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र मय समस्त दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र की जांच की गई, मौका का अवलोकन किया गया व सूचना प्रकाशित कर आपत्ति आमंत्रित की गई, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत की बैठक में विधिवत प्रस्ताव पारित कर सर्वसम्मति से पंचायतीराज अधिनियम के तहत गैरनिगरानीकर्ता के आवासीय भूखण्ड संख्या–7 पैमाईसी 62X54 फुट कुल 3348 वर्गफुट का बुक संख्या 163 पर पट्टा संख्या 80 दिनांक 06.01.2022 को गैरनिगरानीकर्ता के पक्ष में जारी किया गया।
3. यह कि ग्राम पंचायत के आवासीय भूखण्ड संख्या–7 को पूर्व में ग्राम पंचायत के द्वारा जरिये निलामी बेचान किया गया था जिसे गैरनिगरानीकर्ता के पिता स्व0 भागीरथ पुत्र रावताराम के द्वारा उच्च बोली लगाकर खरीद किया गया था तथा उक्त प्लॉट का पट्टा ग्राम पंचायत के द्वारा पूर्ण निलामी राशि अदा किये जाने के पश्चात गैरनिगरानीकर्ता के पिता स्व. भागीरथ के हक में दिनांक 01.06.1976 में जारी किया गया।
4. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा गैरनिगरानीकर्ता के हक में जारीशुदा पट्टा को निरस्त करवाने के लिये प्रस्तुत की गई। वर्तमान निगरानी में यह कही भी वर्णित नहीं किया गया है कि किस प्रकार से गैरनिगरानीकर्ता के हक में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा विधि विरूद्ध है व निगरानीकर्ता किस प्रकार से जारीशुदा पट्टा से प्रभावित है। निगरानीकर्ता के द्वारा केवल मात्र गैरनिगरानीकर्ता को परेशान करने के लिये मिथ्या बिना किसी आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई है। इसलिये आधारहीन निगरानी पर विधिवत् नियमानुसार जारी पट्टा को निरस्त नहीं किया जा सकता।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

5. यह कि गैरनिगरानीकर्ता के हक में ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टा दिनांक 06.01.2022 को जारी किया गया था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अनुसार किसी आदेश व कार्यवाही के विरूद्ध नब्बे दिवस के भीतर निगरानी प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, परन्तु निगरानीकर्ता के द्वारा वर्ष 2025 में वर्षो के अत्यधिक विलम्ब के बाद यह निगरानी प्रस्तुत की है। माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनेको प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि निगरानी शक्ति का प्रयोग 'उचित समय' के भीतर ही किया जाना चाहिए। निगरानीकर्ता द्वारा बिना किसी कारण के वर्षो के अत्यधिक विलम्ब के बाद यह निगरानी प्रस्तुत की है इसलिये विलम्ब से मियाद बाहर प्रस्तुत निगरानी निगरानीकर्ता खारिज किये जाने योग्य है।

6. यह कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा उक्त आवासीय भूखण्ड की सुरक्षा के लिए लोहे की ऐंगल एवं पिल्लर से तारबन्दी की गई जिसे निगरानीकर्ता विनाद कुमार व अन्य साथियों के द्वारा एक राय होकर गैरनिगरानीकर्ता के उक्त आवासीय भूखण्ड पर जबरन एवं बलपूर्वक तरीके से कब्जा करने की नियत से उक्त भूखण्ड में अवैध रूप से प्रवेश कर गैरनिगरानीकर्ता के साथ झगड़ा करने पर उतारू हो गये। जिसके सम्बन्ध में एक एफआईआर संख्या 186/2023 पुलिस थाना लालगढ़जाटान में दिनांक 04.07.2023 को दर्ज की गई , जो वर्तमान में न्यायालय सादुलशहर में लम्बित है।

7. यह कि निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी में यह अंकित किया गया है कि उक्त एफआईआर में पुलिस द्वारा एफ.आर. न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है, इस सम्बन्ध में उल्लेख है कि फौजदारी प्रकरण में पुलिस द्वारा एफ.आर. प्रस्तुत करना व ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टा जारी करना दोनो ही बिल्कुल भिन्न तथ्य है । एफ. आई. आर. में पुलिस द्वारा एफ.आर. न्यायालय में प्रस्तुत करने से ग्राम पंचायत के द्वारा नियमानुसार जारीशुदा पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता है। गैर निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध दर्ज करवाई गई एफ.आई.आर. की रंजिशवंश मिथ्या आधार पर तंग परेशान करने के लिये निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी दायर की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

8. यह कि निगरानीकर्ता के हक में ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान द्वारा बुक संख्या 2 पट्टा संख्या 80 दिनांक 22.02.2022 को जारी किया गया था जो कि नियम विरूद्ध होने के कारण ग्राम के सदस्य के द्वारा उक्त पट्टा को निरस्त किये जाने के लिये श्रीमान न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी। श्रीमान न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 15.04.2025 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार करते हुये निगरानीकर्ता विनोद कुमार के हक में जारी किये गये पट्टा संख्या 80 दिनांक 22.02.2022 को खारिज किया गया। निगरानीकर्ता विनोद कुमार के हक में जारी पट्टा खारिज हो जाने के पश्चात् निगरानीकर्ता के द्वारा रंजिशवंश मिथ्या बिना

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

किसी आधार के नियमानुसार गैरनिगरानीकर्ता के हक में जारीशुदा पट्टा के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत कर तंग परेशान किया जा रहा है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निगरानी निगरानीकर्ता अस्वीकार कर खारिज की जावें व अन्य कोई आदेश जो गैरनिगरानीकर्ता के हित में हो पारित किया जावें।

निगरानीकर्ता की ओर से लिखित बहस निम्नप्रकार से है :–

1. यह कि गैरनिगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर से अपने नाम से प्लाट संख्या संख्या–7 का आधा 352 वर्गगज का फर्जी पट्टा बनवा रखा है।
2. यह गैरनिगरानीकर्ता ने अपने अतिक्रमण को स्थाई करने की नियत से एक झूठा मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 186/2023 थाना लालगगढ जाटान में निगरानीकर्ता के विरूद्व दर्ज करवाया लेकिन पुलिस ने गैरनिगरानीकर्ता का मुकदमा झूठा मानते हुए एफ.आर. न्यायालय में पेश कर दी ।
3. यह कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान के द्वारा जारी किया गया पट्टा प्रस्तुत किया है जबकि ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान में उक्त पट्टे के सम्बन्ध में कोई भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। इसलिए निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये पट्टे फर्जी होने के कारण खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि हस्तगत निगरानी गैरनिगरानीकर्ता रणवीर पुत्र भागीरथ द्वारा ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान से प्लाट संख्या–7 का आधा 372 वर्गगज का पट्टा जो बनाया गया है के विरूद्व पेश की है। अधिवक्ता निगरानीकर्ता का अपनी बहस में यह कथन कि गैरनिगरानीकर्ता ने अपने अतिक्रमण को स्थाई करने की नियत से एक झूठा मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 186/2023 थाना लालगगढ जाटान में निगरानीकर्ता के विरूद्व दर्ज करवाया लेकिन पुलिस ने गैरनिगरानीकर्ता का मुकदमा झूठा मानते हुए एफ.आर. न्यायालय में पेश कर दी, पुलिस थाना लालगढजाटान की एफ.आई.आर. संख्या 186/2023 निम्नानुसार है :–

> प्रकरण हाजा में कथित आरोपी रामप्रताप पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली के पास गांव पन्नीवाली जाटान में एक प्लाट 100X100 फुट का है, जिस पर करीब 50 वर्ष से रामप्रताप के परिवार का कब्जा था, पहले प्लाट के चारो तरफ कच्ची दीवार निकाली हुई थी, जो काफी पुरानी होने के कारण गिर गयी थी। करीब दो साल रामप्रताप के लड़के कथित आरोपीगण विनोद व उग्रसैन ने प्लाट पर सीमेंट के पीलर लगाकर तारबंदी कर दी थी और इसमें लकड़ी व कचरा वगैरा डालते है व प्लाट की सार सम्भाल करते है। अब ग्राम पंचायत के सरपंच ने रामप्रताप के लड़के विनोद कुमार व उग्रसैन के नाम से उक्त प्लाट में से आधे प्लाट का पट्टा जारी कर दिया था, तब विनोद व उग्रसैन

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

द्वारा उक्त प्लाट पर कोई तारबंदी की गयी थी। उक्त प्लाट पर पूर्व से कच्ची चार दीवारी पुरानी होने के कारण गिर गयी थी, तब कथित आरोपीगण विनोद व उग्रसैन ने करीब दो साल पहले प्लाट पर सीमेंट के पीलर लगाकर तारबंदी कर दी थी, जो वर्तमान में भी मौजूद है। आरोप पक्ष द्वारा अपने प्लाट में लकड़ी व कचरा वगैरा डालते है, सरपंच द्वारा मुस्तगीस रणवीर सिहाग को केवल पट्टा जारी किया था, कब्जा नही दिया गया है। मगर उक्त प्लाट पर पिछले 50 साल से आरोपी पक्ष के परिवार का कब्जा है। मुस्तगीस रणवीर ने उस प्लाट पर किसी प्रकार की कोई चार दीवारी व तारबंदी करना नहीं पाया गया है। इस प्रकार अनुसंधान से पाया गया है कि मुस्तगीस रणवीर को ग्राम पंचायत से पट्टा मिलने के बाद प्लाट पर कब्जा नहीं मिला था, तब रणवीर ने मनगढ़त कहानी बनाकर प्लाट का कब्जा लेने का दबाव बनाने के लिए विनोद कुमार वगैरा पर तारबंदी की तार व पीलर चारी आदि का यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अतः नतीजा आखरी अदम वकू (झूठ) जरिये एफ.आर. नम्बर 240 दिनांक 27.10.2023 पेश अदालत कर निवेदन है बाद मुलाहिजा स्वीकृत फरमावें।

पूर्व में निगरानी प्रकरण संख्या 33/2023 अनवानी उमेश कुमार पुत्र स्व श्री आदराम बनाम विनोद कुमार पुत्र श्री रामप्रताप एवं निगरानी प्रकरण संख्या 34/2023 अनवानी उमेश कुमार पुत्र स्व. श्री आदराम बनाम उग्रसैन पुत्र श्री रामप्रताप में विनोद कुमार एवं उग्रसैन के नाम से जारी पट्टे निम्न आधार पर खारिज किये गये है :–

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के आवंटन/नियमन नियमों व प्रावधानों के विपरीत जाकर गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध पट्टा पत्रावली में गैरनिगरानीकर्ता संख्या –1 द्वारा जो आवेदन किया गया वह किसे आवेदन किया गया व कौनसी पंचायत के लिए किया गया किसी प्रकार का कोई अंकन नही है। मौका नक्शा एवं वार्ड पंच रिपोर्ट में किसी वार्ड पंच व सरपंच के हस्ताक्षर नही है। प्रस्तुत शपथ पत्र में किसी भी साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। भूखण्ड की रंगीन फोटो प्रस्तुत नहीं है। कार्यालय आदेश गठित कमेटी हेतू जारी, कार्यालय आदेश किसके द्वारा जारी किया गया कोई पदनाम व हस्ताक्षर व किस तारीख को जारी किया गया अंकित नहीं है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट नियम 146 पूर्ण रूप से रिक्त है। एवं अन्य जो भी प्रकिया अपनाई जानी थी वह पूर्ण रूप से किसके द्वारा की जानी चाहिए अंकित नहीं है। यह एक साईकलो स्टाईल प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है। किसी प्रकार की कोई प्रकिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के आवंटन/नियमन नियमों व प्रावधानों के तहत नहीं की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

परन्तु वर्तमान उक्त निगरानी प्रकरण में गैरनिगरानीकर्ता रणवीर पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के नाम से जारी पट्टे की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त पट्टा किस आहाता का जारी किया गया है का कोई अंकन नहीं है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भी कही यह अंकित नहीं किया गया है कि उसे पट्टा किस अहाता का चाहा जा रहा है। नक्शा मौका में वार्ड पंच महेन्द्र ग्राम पंचायत पन्नीवाला द्वारा जो रिपोर्ट की गई है उसमें कहीं यह अंकित नहीं किया है कि उसके द्वारा किस भूखण्ड की रिपोर्ट की जा रही है व गैरनिगरानीकर्ता कितने समय से वहां निवास कर रहा है। भूखण्ड की रंगीन फोटो फार्म पर चस्पा की गई है वह किस भूखण्ड की है, कही अंकन नहीं किया गया है। कार्यालय आदेश जो जारी किया गया है कब जारी किया एवं किस नम्बर व

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक से जारी किया गया का अंकन नहीं है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट, आज्ञाओं की सूचि में कहीं यह अंकन नहीं है कि उक्त पालना किस अहाता के लिए की जा रही है। मुख्य बिन्दु गैरनिगरानीकर्ता रणवीर द्वारा जो शपथ पत्र पेश किया गया है में भी यह कहीं अंकित नहीं कि वह किस अहाता का पट्टा चाह रहा है, उक्त पट्टा आवंटन पत्रावली में उपलब्ध ब्यान फार्म जिसमें सत्यनारायण पुत्र श्री आत्मा राम जाति जाट द्वारा अपने ब्यान दिये है उसमें गैरनिगरानीकर्ता रणवीर का अहाता संख्या-08 पर काबिज होना बताया है जबकि उक्त निगरानी प्लाट संख्या 07 का आधा 372 वर्गगज की है। उक्त तथ्यो से यह प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के आवंटन/नियमन नियमों व प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। ना ही पुलिस थाना लालगढजाटान की एफ.आई.आर. संख्या 186/2023 में थानाधिकारी द्वारा उक्त विवादित प्लाट पर कब्जा गैरनिगरानीकर्ता का होना बताया है।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जो रेकॉर्ड उपलब्ध करवाया गया है, उसके अनुसार गैरनिगरानीकर्ता संख्या-1 को ग्राम पंचायत द्वारा कोई विधिवत् प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया जाना नहीं पाया जाता है। निगरानी के साथ प्रस्तुत पट्टा बिना विधिक प्रकिया अपनाए एवं राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों की पालना किए बिना अवैध रूप से जारी किया जाना पाया जाता है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर गैरनिगरानीकर्ता रणवीर के नाम से ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान द्वारा संकल्प संख्या 4 दिनांक 05.01.2022 की पालना में दिनांक 06.01.2022 को जारी निगरानीधीन पट्टा संख्या 80 निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावें।

आदेश आज दिनांक 15.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)

अति0 जिला कलक्टर,
(प्रशा0) श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अपर जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)